# झारखण्ड सरकार

# कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग,

# कार्यालय परियोजना निदेशक, आत्मा, गुमला।

## कृषि उपादान व्यवसायियों को एक वर्षिय डिप्लोमा कोर्स(DAESI) में नामांकन लेने हेतु आवश्यक सूचना।

आत्मा, गुमला द्वारा देसी (DAESI – Diploma in Agricultural Extension Services for Input Dealers) पाठ्यक्रम में वर्ष 2021–22 में संचालित किया जाना है। गुमला जिला के बीज/उर्वरक/कीटनाशी विक्रेता जो वैद्ध अनुज्ञप्तिधारी है नामांकन हेतु आवेदन कर सकते है। पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु मैनेज, हैदराबाद के वेबसाइट **www.manage.gov.in** अथवा आत्मा गुमला के वेबसाईट **www.atmagumla.org** से आवेदन पत्र डाउनलोड किया जा सकता है या आत्मा कार्यालय, गुमला से भी आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है। पूर्ण रुपेण भरा हुआ आवेदन निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट/हाथों–हाथ या स्वयं के माध्यम से ही परियोजना निदशक आत्मा गुमला, संयुक्त कृषि भवन, प्रथम तल, करमटोली रोड, गुमला–835207 को दिनांक 31.09.2021 तक अपराहन् 5:00 बजे तक प्राप्त कराया जा सकेगा। पाठ्यक्रम हेतु अभ्यार्थियों का चयन पहले आव पहले पाव के आधार पर होगा। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदन के साथ निम्नलिखित कागजात संलग्न करना आवश्यक होगा :–

1. देसी पाठ्यक्रम का विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र
2. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की छाया प्रति।(जन्म तिथि अंकित मैट्रीक/दसवीं सहित)
3. अनुज्ञप्ति की छाया प्रति।
4. आधार कार्ड की छाया प्रति।
5. फोटो (02 पीस पासपोर्ट साईज)
6. Central Sector Plan Scheme Mode के तहत आवेदनकर्ता को 10000/– (दस हजार रुपये) मात्र का डिमान्ड ड्राफट जो **Director SAMETI Payable at Ranchi** के नाम से देय होगा, संलग्न करना होगा। आवेदन पत्र रद्द होने या चयन नहीं होने की स्थिति में डिमांन्ड ड्राफट वापस कर दी जाएगी।
7. डिमांन्ड ड्राफट को छोड़कर सभी दस्तावेज पर आवेदनकर्ता द्वारा स्वअभिप्रमाणित करना अनिवार्य होगा।

कुल अभ्यार्थियों की संख्या 40 है, निर्धारित तिथि तक 40 आवेदन से अधिक प्राप्त होने पर अगले बैच में प्राथमिकता दी जा सकती है। अधिक जानकारी हेतु परियोजना निदेशक आत्मा गुमला, संयुक्त कृषि भवन, प्रथम तल, करमटोली रोड, गुमला पर कार्यालय के कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।

ह0/–
परियोजना निदेशक
गुमला

ह0/–
जिला कृषि पदाधिकारी
गुमला

**PR 253595 Agriculture,Animal Husbandry And Co-opretive Department(21-22)D**